उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून,
उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **43293/2025-26**

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलार्थी : श्री संजीव चतुर्वेदी, हाउस नंबर–डी–1, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रामपुर रोड हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी / मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, जिला नैनीताल।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, जिला नैनीताल।

आदेश

आज सुनवाई के समय अपीलार्थी हाईब्रिड व दूरभाष के माध्यम से उपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल श्री हर्ष सिंह जीना दूरभाष के माध्यम से उपस्थित रहे।

2. अपीलार्थी द्वारा मूल अनुरोध पत्र दिनांकित 14/05/2025 लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को संबोधित कर प्रेषित करते हुए निम्नानुसार 04 बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयीं :

2.1 Kindly provide me certified copies of all the relevant Service Rules, regulation conduct of subordinate judiciary of Uttarakhand and processing of Disciplinary proceedings against officers / judges of subordinate judiciary of State of Uttarakhand.

2.2 Kindly provide me certified copies of all the procedures, Rules and details of Competent Authority, before whom complaints of corruption and other types of misconduct against officers / judges of subordinate judiciary in State of Uttarakhand, may be lodged, along with copies of any such proforma, and other relevant documents / information for filling such complaint.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग NCB सत्यमेव जयते देहरादून

2.3 Kindly provide me certified copies of all the information related to total number of complaints filed against officers / judges of subordinate judiciary in State of Uttarakhand, from 01.01.2020 to 15.04.2025 and number of cases in which Disciplinary / Criminal actions were recommended / effected against them, from 01.01.2020 to 15.04.2025.

2.4 Kindly provide me certified copies of all the file noting / document generated in processing of this RTI Application, by SPIO and other officials.

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19/06/2025 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी। लोक सूचना अधिकारी के स्तर से वांछित सूचनायें प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23/06/2025 को रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी / रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 14/07/2025 को प्रथम विभागीय अपील का निस्तारण किया गया।

4. प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने तथा उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की आयोग से प्रार्थना की गयी है।

5. आज सुनवाई के समय उपस्थित अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय संविधान की धारा 19 से निकलकर ही सूचना का अधिकार अधिनियम का अभ्युदय हुआ है अतः उन्हें अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 3 के सापेक्ष सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 3 के सापेक्ष सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में आयोग के समक्ष संविधान पीठ द्वारा Writ Petition (C) No. 880 of 2017 में पारित आदेश का उल्लेख भी किया गया।

6. लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के समक्ष अपना कथन प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 3 के सापेक्ष अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना गोपनीय व तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथापि यदि वे किसी विशिष्ट शिकायत के संबंध में सूचित करते हुए सूचना प्राप्ति का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम व उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सतर्कता नियम, 2019 के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें उक्त शिकायत के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है। उनका यह भी कहना है कि उक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने से पूर्व उन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तराखण्ड से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है चूंकि यह सूचना गोपनीय प्रकृति की है।

7. उभय पक्षों के उपरोक्त कथनों व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 3 के सापेक्ष वांछित सूचना उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है। अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 3 में उत्तराखण्ड में कार्यरत अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात न्यायाधीशों / अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त

शिकायतों की संख्या एवं उन शिकायतों के आधार पर ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुशासनिक / आपराधिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई हो। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरणों की संख्या के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए अपीलार्थी को वांछित सूचना आदेश प्राप्ति के 1 माह के भीतर उपलब्ध कराते हुए कृत अनुपालन से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

8. जिस सीमा तक अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 3 के सापेक्ष सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सूचना दिये जाने के निर्देश लोक सूचना अधिकारी को दिये गये हैं उस सीमा तक इस द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांक : 01/01/2026

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त

NCB